Bill No. 12 of 2015

THE WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (DELHI AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

Further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955(45 of 1955) in it's application to the National Capital Territory of Delhi.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:-

1. Short title, extent and Commencement:-

(1) This Act may be called 'The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Act, 2015'.

(2) It shall extend to whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force from the date of its notification.

2. **Amendment of section 17 of the Central Act No. 45 of 1955:-** After sub-section(1) of the section 17 of the Central Act No. 45 of 1955**,** sub-section(1A) is inserted;
"17(1A)- without prejudice to any other penalty to which the employer may be liable under this Act, the authority may direct the payment of compensation not exceeding five times of the amount of the wages due to the news paper employee".

3. **Amendment of section 18 of the Central Act No. 45 of 1955:-**In sub-section (1) of the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955, the words "fine which may extend to two hundred rupees." shall be substituted by the words "imprisonment of either description which may extend to six months, or fine which may extend to 5,000 rupees or with both; Provided that in the case of non-payment of the due wages to an employee, the employer shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to six months, or fine which may extend up to two hundred rupees per employee per day or with both ,till the offence is continued",

4. In sub-section (1A) of the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955, the words "punishable with fine which may extend to five hundred rupee." shall be substituted by the words "punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one year,

and shall also be liable to fine which may extend to 10,000 rupees; Provided that in the case of non-payment of the due wages to an employee, the employer shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to one year, or fine which may extend up to one thousand rupees per employee per day or with both till the offence is continued.

Working Journalist and Other News Paper Employee (Condition of Service) and misc. Provisions Amendment Bill 2015

Statement of objects and reasons.

The working journalists and other newspaper employees raised several issues regarding payment of salaries and also lack of proper provisions to enforce reasonable wages/salary to working journalists and other newspaper employees. The Central Government constituted several boards to address the issues raised by the working journalists and other newspaper employees and last board in the line was Majithia Wage Board which was constituted under the chairmanship of Justice G.R. Majithia. The Wage Board has given various recommendations in respect of wages/allowances payable to the newspaper employees. During the implementation of the Majithia wage board recommendation two major short comings detected in the present Act. These are:

a. There is no provision for adequate compensation to the employees who have preferred their claims under sec 17 of the act.
b. There is very meagre penal provisions in the Act as provided in section 18 (1) and Section 18 (1A) of the Act which could not mount effective deterrence for the violators of the Act.

The proposed amendment in the Act basically deal with these two issues and proposed to provide compensation upto 5 times of the amount of wages due to the employee in case a claim is filed under section 17 (1) of the Act.

Further, it provide more stringent penal provision under section 18 (1) and 18 (1A) which include punishment of imprisonment as well as provisions of enhanced fine which will provide a effective deterrence for the violators of the Act.

By providing these provisions the government will intend to provide relief to the working journalists and other newspaper employees by ensuring payment of their legitimate wages including adequate compensation.

2015 का विधेयक सं012

कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) ओर विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये इस के लागू होने में कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) का पुनः संशोधन करने के लिए।

एक

विधेयक

यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाएः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भः—**
   (1) इस अधिनियम को ' कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।'
   (2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
   (3) यह अपनी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।
2. **1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45 की धारा 17 का संशोधनः—** 1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 17की उपधारा (1) के बाद उपधारा 1क सन्निविष्ट की जाएगी;

   "17(1क) किसी अन्य प्रकार के दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ता को दिया जा सकेगा, प्राधिकारी, समाचार पत्र के

कर्मचारी को देय वेतन की राशि के पांच गुणा से अधिक राशि न हो, क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का निदेश दे सकता है।"

4. **1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 की धारा 18 का संशोधनः—** 1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 18 की उपधारा(1) में आए शब्द "अर्थदण्ड, जो दो सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है" के स्थान पर शब्द "किसी प्रकार का कारावास, जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड, जो रूपये 5000/— तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सहित ; शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के न भुगतान करने की स्थिति में, नियोक्ता, किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा, जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड, जो रूपये 200/—प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकता है, या दोनों सहित, जब तक यह अपराध जारी रहता है।"
5. **1955 के केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 की धारा 18 की उपधारा** 1(क) में आए शब्द "अर्थदण्ड सहित दण्डनीय जो पांच सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है" के स्थान पर शब्द "किसी अवधि के लिये किसी प्रकार के कारावास सहित दण्डनीय, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो 10,000 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है; शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के भुगतान न करने की स्थिति में नियोक्ता किसी भी प्रकार के कारावास सहित दण्डनीय होगा, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड, जो एक हज़ार रूपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकेगा या दोनों सहित, जब तक अपराध जारी रहता है।

कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) ओर विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों को वेतन के भुगतान सम्बन्धी और यथोचित वेतन/मज़दूरी दरों सम्बन्धी उपयुक्त उपबन्धों के अभाव के भी कारण कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार कर्मचारियों ने कुछेक मामले उठाए। केन्द्रीय सरकार ने कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु कुछेक बोर्ड गठित किये गए हैं और इस श्रृंख्ला में, अन्तिम बोर्ड मजीठा वेतन बोर्ड है जो न्यायाधीश श्री जी आर मजीठा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वेतन बोर्ड ने समाचार पत्र कर्मचारियों को देय वेतन/भत्तों के सम्बन्ध में अनेक संस्तुतियां की हैं। मजीठा वेतन बोर्ड की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के दौरान वर्तमान अधिनियम में दो प्रमुख त्रुटियां पता लगाई गइ हैं। ये निम्न प्रकार हैंः–

क. उन कर्मचारियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिन्होंने अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत अपने दावे प्रस्तुत किये हैं।

ख. अधिनियम की धारा 18(1) तथा 18(1क) में यथा उपबन्धित अधिनियम में, दण्ड के बहुत ही कम प्रावधान हैं, जो अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर प्रभावशाली अंकुश नहीं लगा सकते हैं।

अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः दो मामले से सम्बन्धित हैं और अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गए किसी दावे की स्थिति में कर्मचारी को देय राशि के पांच गुणा तक राशि क्षतिपूर्ति दिलवाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त यह धारा 18(1) तथा 18(1क) के अन्तर्गत अधिक कठोर दण्ड प्रावधान/उपबन्ध की व्यवस्था करता है जिसमें कारावास के दण्ड का प्रावधान है तथा इसमें अर्थदण्ड बढ़ाने का भी प्रावधान है जिससे अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।